कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

क्रमांक/MPLRS/DCS/ZAYAD/2024/124 भोपाल, दिनांक- 02/05/2024

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सिवनी, नीमच,
मध्यप्रदेश,

विषय –पायलट डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम जायद 2024-25।

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 03 बार (मौसम खरीफ/रबी/जायद) में सारा एप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत् रूप से किया जा रहा है। फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें जियो फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के माध्यम से खेत मे बोई गई फसल का फोटो खींचकर गिरदावरी का कार्य पूर्ण किया जाता है। उक्त कार्य पायलट आधार पर पूर्ण करने हेतु जिला सिवनी एव नीमच पूर्व से चयनित हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत फसल सर्वेक्षण की कार्यवाही हेतु निर्देश भी समय-समय पर जारी किए गए हैं। पुनः अवगत कराया जाता है कि मौसम जायद 2024-25 सर्वेक्षण में निम्नानुसार निर्देशों का अनुसरण किया जाए :-

1. **एमपी किसान एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे –**
    1. एमपी किसान एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के उपरांत मोबाईल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है।
    2. एमपी किसान एप के माध्यम से फसल स्व–घोषणा की जानकारी जियो फेंस तकनीक के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर दर्ज की जा सकेगी एवं पूर्व से दर्ज फसल के विरूद्ध दावा/आपत्ति की जानकारी भी एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।
2. **स्थानीय युवा (सर्वेयर) पंजीयन एवं प्रशिक्षण** – संबंधित पटवारी द्वारा आवंटित ग्राम हेतु एक या एक से अधिक स्थानीय युवा (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) का पंजीयन MPBHULEKH पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु कराया जाएगा जो 8वी कक्षा उत्तीर्ण हो एवं उसके पास मोबाईल फोन (Android वर्जन 6+) मय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवा, ग्राम में उपर्युक्त स्थानीय युवा न होने पर ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा, ग्राम पंचायत में उपर्युक्त

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय युवा न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा का पंजीयन कराया जाएगा। स्थानीय युवा के चिन्हांकन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्व निरीक्षक वृत्त/ तहसील स्तर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जायेगा। संबंधित पटवारी द्वारा भी सर्वेयर को गिरदावरी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. **पोर्टल पर पंजीयन, ग्राम आवंटन एवं सत्यापन–**

1. सर्वेयर द्वारा पंजीयन एवं ग्राम चुनने का कार्य MPBHULEKH पोर्टल पर किया जाएगा।
2. सर्वेयर के पंजीयन एवं ग्राम आवंटन का अनुमोदन पटवारी द्वारा MPBHULEKH पोर्टल पर पूर्ण होने के उपरांत सर्वेयर, सारा एप में ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकेगा।
3. सर्वेयर लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम/सर्वे नंबर का डाटा डाउनलोड कर गिरदावरी का डाटा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड कर सकेगा। फसल के अतिरिक्त जानकारी अद्यतन करने हेतु जियो फेंस एवं फोटो लेना अनिवार्य नहीं होगा।
4. ग्राम में एक से अधिक सर्वेयर होने पर कार्य विभाजन पटवारी द्वारा समन्वय कर किया जाएगा एवं ध्यान रखा जावेगा कि 1000 सर्वे नंबर की अधिकतम् सीमा अनुसार सर्वेयर को सर्वे नंबर आवंटित किए जायें।
5. सर्वेयर द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद समान डाटा सुपरवाईजर (पटवारी) को सारा एप/पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें पटवारी खसरे में उपलब्ध फसल एवं फोटो का अवलोकन कर जानकारी को अनुमोदित कर सकेगा एवं आवश्यक होने पर कारण अंकित कर पुनः परीक्षण हेतु सर्वेयर को भेज सकेगा। प्राप्त इनपुट डाटा से विसंगति होने पर यथासंभव 01 प्रतिशत विसंगति डाटा का अनुमोदन पार्सल लेबल जियो फेंस के माध्यम से किया जायेगा।
6. पुनः परीक्षण हेतु भेजने के उपरांत यह डाटा सर्वेयर को सारा एप में उपलब्ध होगा, जिसकी जानकारी सर्वेयर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. सर्वेयर से पुनः प्राप्त जानकारी का अवलोकन सुपरवाईजर द्वारा सारा एप/पोर्टल के माध्यम से किया जाकर अनुमोदित किया जा सकेगा परंतु सुपरवाईजर द्वारा द्वितीय समय पर जानकारी को पुनः परीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगा एवं आवश्यक होने पर सुपरवाईजर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से जानकारी अद्यतन करना होगी।
8. सर्वेयर उपलब्ध न होने अथवा सर्वेयर के कार्य न करने पर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य पटवारी द्वारा सारा एप के माध्यम से स्वयं किया जाएगा (पटवारी द्वारा दर्ज फसल गिरदावरी की जानकारी सुपरवाईजर हेतु स्वतः अनुमोदित होगी)।
9. प्राप्त इनपुट डाटा (किसान गिरदावरी/सैटेलाईट इमेज अनुसार संभावित फसल जानकारी आदि) अनुसार फसल विसंगति की जानकारी प्राप्त की जाएगी।
10. फसल सर्वे की जानकारी के अनुमोदन उपरांत प्रत्येक ग्राम के 01 प्रतिशत सर्वे नंबर (यथासंभव विसंगति डाटा में से चयनित) की जानकारी का सत्यापन संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार (वैरीफायर) द्वारा सारा एप/पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यक होने पर जानकारी को पुनः परीक्षण हेतु सुपरवाईजर को कारण अंकित कर भेजा जा सकता है, जिसमें सुपरवाईजर द्वारा पुनः उक्त जानकारी को पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा।
11. सुपरवाईजर से पुनः अद्यतन जानकारी प्राप्त होने पर वैरीफायर द्वारा उक्त जानकारी का अनुमोदन किया जाएगा, परंतु द्वितीय समय पुनः परीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगा। आवश्यक होने पर स्वयं सारा एप के माध्यम से वैरीफायर द्वारा जियो फेंस तकनीक से क्रॉप सर्वे की जानकारी अद्यतन की जाएगी।

4. जॉचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति एवं जॉच की प्रक्रिया-

1. सुपरवाईजर द्वारा अनुमोदित जानकारी की जांच हेतु प्रत्येक वर्ष/मौसम हेतु 20 प्रतिशत ग्रामों का चयन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष/मौसम हेतु गामों का चयन करते हुए आगामी 05 वर्ष में शत-प्रतिशत ग्रामों का जांच कार्य पूर्ण किया जाएगा। जांच कार्य हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार को छोडकर राजस्व/ अन्य विभाग (कृषि, उद्यानिकी आदि) के अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से नियुक्त किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. जांचकर्ता यूजर की जानकारी को सारा पोर्टल के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा, जिन्हें ग्राम आवंटन का कार्य सारा पोर्टल पर SLR लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा।
3. आवंटित ग्राम में 01 प्रतिशत या ग्राम के कम से कम 10 निजी सर्वे नंबर (यथासंभव विसंगति डाटा में से चयनित) जो अधिक हो, सिस्टम द्वारा आवंटित किए जायेंगे।
4. जांचकर्ता द्वारा सारा एप में लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम/सर्वे नंबर की जांच की जाएगी, सहमत होने पर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अपलोड की जाएगी एवं असहमत होने पर जियो फेंस के माध्यम से फसल के फोटो सहित जानकारी अपलोड की जाएगी।
5. जांचकर्ता द्वारा अपलोड की गई जानकारी सारा पोर्टल पर संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसका निराकरण जानकारी का अवलोकन/आवश्यक जांच उपरांत किया जाएगा।

5. सुपरवाईजर द्वारा जानकारी अनुमोदन करने पर खेत में फसल की जानकारी का अवलोकन एमपी किसान एप के माध्यम से किसान द्वारा किया जा सकेगा एवं असहमति की दशा में अद्यतन जानकारी पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से फसल के फोटो सहित दावा/आपत्ति निराकरण हेतु अपलोड की जाएगी।
6. एमपी किसान एप के माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा आवश्यक जांच उपरांत किया जाएगा।
7. नियत तिथि उपरांत डाटा को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
8. इस प्रकार निम्न समय-सीमा में डिजिटल क्रॉप सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी :-

समय सरणी

बिन्दु	दिनांक से	दिनांक तक
सर्वेयर पंजीयन		सतत् पंजीयन
समस्त प्रशिक्षण		05/05/2024
किसान गिरदावरी	02/05/2024	15/06/2024
सर्वेयर क्रॉप सर्वे	02/05/2024	15/06/2024
सुपरवाईजर सत्यापन		20/06/2024
किसान दावा/आपत्ति		25/06/2024

Scanned with OKEN Scanner

दावा/आपत्ति निराकरण		30/06/2024
वैरीफायर अनुमोदन	16/06/2024	26/06/2024
डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य	10/06/2024	26/06/2024
जाचं कार्य का अंतिम अनुमोदन		30/06/2024

9. **राशि भुगतान** – नियत राशि का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाता/बैंक खाता में संबंधित यूजर (सर्वेयर आदि) को किया जायेगा।
10. **अन्य** – जांच अधिकारी द्वारा सर्वेयर की जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व से पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन कर नियत ग्राम/सर्वे नंबर का कार्य कराया जा सकेगा। सर्वेयर द्वारा दर्ज फसल से सुपरवाईजर के असहमत होने के कारण पटवारी द्वारा जियो फेंस क्रॉप सर्वे में भिन्न जनकारी अद्यतन करने पर सर्वेयर को राशि देय नहीं होगी।

(अनुभा श्रीवास्तव) 2/5/24
आयुक्त भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/MPLRS/DCS/ZAYAD/2024/124 भोपाल, दिनांक 02/05/2024

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
5. संचालक, उद्यानिकी विभाग, भोपाल।
6. प्रबंध निदेशक, MPSeDC भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी WebGIS की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त भू-अभिलेख 2/5/24
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner